न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 154/2021

शांति देवी पुत्री स्व0 खेता राम पत्नी श्री चानण लाल जाति नायक निवासी मकान नम्बर 1176 धसौंदीराम गली फाजिल्का तहसील व जिला फाजिल्का।

– – प्रार्थीया

बनाम

1. गुड्डी पत्नी श्री बीरबल राम जाति नायक निवासी मीरा चौक, नजदीक बी आर मॉडल स्कूल, श्रीगंगानगर।
2. तारा चन्द पुत्र श्री बीरबल राम जाति नायक निवासी मीरा चौक, नजदीक बी आर मॉडल स्कूल, श्रीगंगानगर।
3. भैरू राम पुत्र श्री बीरबल राम जाति नायक निवासी मीरा चौक, नजदीक बी आर मॉडल स्कूल, श्रीगंगानगर।
4. राजेश पुत्र श्री बीरबल राम जाति नायक निवासी मीरा चौक, नजदीक बी आर मॉडल स्कूल, श्रीगंगानगर।
5. साहब राम पुत्र श्री खेता राम जाति नायक निवासी मीरा चौक नजदीक बी आर मॉडल स्कूल, श्रीगंगानगर।
6. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 राज. काश्त. अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा – – प्रार्थीया
2. श्री राजेश ग्रेवाल – – अप्रार्थीगण 1 ता 5

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–04.11.2025

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम से वाके चक 24 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/24 के मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कुल 2.847 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। जिसमें से प्रार्थीया के नाम से 569/2447 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसकी प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार है। प्रार्थीया औरतजात है, विवाहित है, अपने ससुराल फाजिल्का में निवास कर रही है, जो कि समय समय पर आकर भूमि की सार संभाल करती रही। अब प्रार्थीया के भाईयों ने उक्त भूमि को ठेका पर दे दिया है तथा प्रार्थीया को हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

ठेका नहीं दे रहे हैं तथा प्रार्थीया को ऐलानियां धमकिया दे रहें है कि अगर कोई कार्यवाही की तो जमीन में नमक शोरा आदि डालकर नष्ट कर देगें। अतः न्यायहित में ताफैसला दावा उपरोक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण के पिता श्री खेता राम के नाम से दर्ज थी। खेता राम के देहान्त के पश्चात वारिसान को प्राप्त हुई। प्रार्थीया शांति देवी, चन्द्रावली व लक्ष्मी ने अपना अपना हक हिस्सा मौखिक पारिवारिक समझौता में अपने दोनों भाईयों बीरबलराम व साहबराम के हक में छोड दिया था, बाद में चन्द्रावली व लक्ष्मी द्वारा दस्तावेज दस्तबरदारी द्वारा लिखित रूप में भी अपने हक हिस्सा का परित्याग कर दिया, शांति देवी प्रार्थीया यह कहती रही कि वह भी दस्तबरदारी करवा देगी मगर लिखित में दस्तबरदारी नहीं हो सकी जबकि शांति देवी का विवाह उपरोक्त भूमि की आय से ही अरसा करीब 60 वर्ष पूर्व किया गया था तथा स्त्रीधन के रूप में उसका हिस्सा उसको प्राप्त हो गया था तथा विवाह के उपरांत उसका कभी किसी भूमि पर कब्जा नहीं रहा बल्कि कब्जा बीरबल व साहबराम का रहा, माता की देखभाल भी वही करते रहे, माता गौरा देवी का देहांत दिनांक 03.12.06 को हुआ। उस समय भी शांति देवी, चन्द्रावली व लक्ष्मी ने पंचायत के सामने ही अपना हक हिस्सा बीरबल व साहबराम के हक में तर्क करने की पुष्टि की गई थी, इस प्रकार कब्जा बीरबल व साहबराम का रहा, बीरबल का देहांत हो गया, अप्रार्थी सं0 1 ता 4 बीरबल के वारिस होने से बीरबल के 1/2 हिस्सा पर काबिज है व शेष 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थी सं0 5 साहबराम काबिज है, जो कि आज भी कब्जा इन्ही के पास चला आ रहा है, कब्जा के सम्बंध में प्रार्थीया द्वारा दावा के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की, भूमि कीमते बढ जाने के कारण तथा लिखित में प्रार्थीया द्वारा दस्तबरदारी ना करवायी होने के कारण व रकबा उसके नाम दर्ज चला आ रहा होने के कारण अब लालचवश है तथा लालच के वशीभूत होकर मौजूदा वाद पेश किया गया है। इस प्रकार वास्तव में प्रार्थीया ने अपना हक हिस्सा अपने भाईयो के हक में छोड दिया था तथा माता के देहांत के बाद पुष्टि भी कर दी थी, अतः प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने योग्य है। केवलमात्र प्रार्थना पत्र का आधार बनाने के लिए झूठे तथ्य दर्ज करवाये है कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया कि कब कब भूमि की संभाल करने के लिए आयी व कब कब किसको किस साल के लिए कितनी राशि में ठेके पर दी, ना ही कोई ठेका राशि का कथन किया है, दरअसल में हक हिस्सा पहले से छोडा होने के कारण प्रार्थीया का किसी भूमि पर कब्जा नहीं रहा तथा ना ही कोई हक बनता है बल्कि विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 1 ता 4 का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं0 5 का बनता है, इसी अनुसार काबिज है तथा काउंटर कलेम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अलग से पेश किया जा रहा है कि उनको खातेदार घोषित कर प्रार्थीया का नाम हटाया जावे। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसके साथ न्यायिक दृष्टान्त– 2021(2) RRT 1424, 1985 RRD pg.686, 1993 RRD pg.632, 2024(2) RRT pg.1072 प्रस्तुत किए। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए, रिसीवर कायमी की मांग का घोर विरोध करते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय तथ्यों का तथा सम्बन्धित विधि के प्रावधानों व न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक व गहनता से अध्ययन, विवेचन–विश्लेषण किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वाके चक 24 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/24 के मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कुल 2.847 है0 कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज कागजात माल है। जिसमें से राजस्व रिकार्ड (वर्तमान जमाबन्दी) में प्रार्थीया के नाम से 569/2447 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसकी प्रार्थीया अभिलिखित खातेदार है और अप्रार्थीगण मौखिक हक परित्याग के आधार पर अपना स्वामित्व व हक बता रहें हैं। अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कोई हक वा हिस्सा बनता है अथवा नहीं यह प्रश्न मूल वाद में साक्ष्य के पश्चात निर्धारित होगा। वस्तुतः वर्तमान में भूमि के खुर्द–बुर्द होने का पूर्ण अंदेशा है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में वाद पत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की देखभाल व व्यवस्था करने के लिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को रिसीवर कायम किया जाना उचित होगा।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके चक 24 एम एल तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 14/24 के मुरब्बा नम्बर 45 व 46 की कुल 2.847 है0 कृषि भूमि में से प्रार्थीया के नाम से दर्ज 569/2447 हिस्सा यानि 0.569 हैक्टेयर भूमि दर्ज पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को वाद पत्र के निस्तारण तक रिसीवर नियुक्त किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि उक्त कुल 2.847 है0 भूमि में से रास्ते व खाले की सुविधा का ध्यान रखते हुए 0.569 हैक्टेयर भू भाग का भौतिक कब्जा अप्रार्थीगण से लेकर नियमानुसार कार्यवाही करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर मुकदमा
154/2021
शान्ति देवी बनाम गुड्डी देवी

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 136/2021 बअनवान शान्ति देवी बनाम गुड्डी देवी रहे।

आदेश आज दिंनाक 04.11.2025 को लिखवाया जाकर उभ्यपक्ष को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(नयन गौतम) आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner